न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 42/2019 तारीख रजू 13.11.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. देवेन्द्र कुमार सैनी पुत्र कन्हैया लाल सैनी निवासी 200 के, पटेल नगर, आलनपुर पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर (मौके पर विक्रेता एवं व्यवस्थापक) मैसर्स– आस्था उपभोक्ता भण्डार, आदर्श विद्या मंदिर के पास टोंक रोड, बजरिया पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर।
2. मैसर्स– आस्था उपभोक्ता भण्डार, आदर्श विद्या मंदिर के पास टोंक रोड, बजरिया पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर (फर्म)।
3. पुष्पा तांबी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद तांबी निवासी सी 3, रघुनाथ कॉलोनी गलता गेट, दिल्ली बाईपास रोड, जिला जयपुर (फर्म मालिक) मैसर्स– श्री महालक्ष्मी फ्लोर मील एच–11, सूरजपोल अनाज मंडी, सूरजपोल पोस्ट एवं जिला जयपुर 302003 ।

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 27/2/23

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 10.04.2019 को समय 03:00 पी.एम. पर मैसर्स आस्था उपभोक्ता भंडार, आदर्श विद्या मंदिर के पास, टोंक रोड, बजरिया, सवाई माधोपुर पर पहुँचा। वहॉ पर देवेन्द्र कुमार सैनी पुत्र कन्हैया लाल सैनी निवासी 200 के, पटेल नगर, आलनपुर, पोस्ट व जिला सवाईमाधोपुर उपस्थित मिले जिसे आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, दुकान में आम जन को विक्रय हेतु रखे खाद्य पदार्थ **चना दाल बेसन (पावन)** 500 ग्राम के 43 पॉलिपैक का निरीक्षण किया जिनके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम एवं विनियम 2011 के स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी [illegible] पहचान पत्र आदि मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञा–पत्र, क्रय बिल, सहकारी समिति का [illegible] निर्वाचन आयोग पहचान पत्र पेश किया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जॉच हेतु [illegible] की सूचना फार्म न[illegible] की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को [illegible] प्राप्ति रसीद ली गयी। आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ **चना दाल बेसन (पावन)** 500 ग्राम के 04 पॉलिपैक वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:03:55 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

120/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ **चना दाल बेसन (पावन)** 500 ग्राम के 04 पॉलिपैक को मूल ही लेकर 04 प्लास्टिक के डिब्बों में रख कर 04 नमूना भाग तैयार कर चार लेबल तैयार किये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच 1647 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोंनो पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। आवेदक ने मौके पर पर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहॉ जिसे विक्रेता देवेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सैनी ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवॅर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कैलाश चन्द सेन वाहन चालक कार्यालय मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियॉ के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/1178 दिनांक 17.05.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 241/जीएस/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2019/266 दिनांक 09.05.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **चना दाल बेसन (पावन)** 500 ग्राम मिसब्राण्डेड पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i)) खाद्य पदार्थ **चना दाल बेसन (पावन)** 500 ग्राम का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकतम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 3 द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा अभियुक्त संख्या 1 व 2 की ओर से अभियुक्त संख्या [illegible] उपस्थित आये तथा प्रकरण में सभी अभियुक्त की ओर से स्वयं की बहस सुनी [illegible] करने का निवेदन किया गया

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन [illegible] में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त [illegible] मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:03:55 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i)) खाद्य पदार्थ **चना दाल बेसन (पावन)** 500 ग्राम का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा बहस तर्क दिया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा आस्था उपभोक्ता भण्डार से बेसन (पावन) का सेम्पल भरा गया था जिसको कोटा की लेब द्वारा बेसन पाउच पर (No preservative used) अंकित होने के कारण मिसब्राण्डेड माना है। प्रार्थी को नियमों की जानकारी नहीं थी। अज्ञानता होने के कारण त्रुटि हुई है जिसे तत्काल सुधार कर लिया गया भविष्य में दोबारा उक्त गलती को नहीं दोहराया जावेगा। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त कर अभियुक्तगण को दोष मुक्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त रिपोर्ट संख्या संख्या 241/जीएस/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2019/266 दिनांक 09.05.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **चना दाल बेसन (पावन)** 500 ग्राम मिसब्राण्ड पाया गया। अभियुक्तगण द्वारा जवाब/बहस में भी गलती को माना गया है जिसे सुधार कर भविष्य में दोबारा उक्त गलती को नहीं दोहराने को कहा गया है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ **चना दाल बेसन (पावन)** 500 ग्राम का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 पर संयुक्त रूप से 21,000/– (अक्षरे इक्कीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/2/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:03:55 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर